"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 — पौष 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

आदेश

सं. 2-2018/ राज्य कर

क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(125).- चूंकि, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा।

और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि,-

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम संदाय किया गया है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें जो भी पहले हो, के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

और, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण-

(i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीं कर सके ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सकेगा;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः, अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है,-

2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(125). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की आदेश क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(125), दिनांक 31-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2018

ORDER

No.2/2018 – State Tax

No. F-10-66/2018/CT/V (125) .–WHEREAS, sub-section (4) of section 16 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoices or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 37 of the said Actprovides that-

Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay tax and interest, if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission, in return to be furnished for such tax period: Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, the financial year 2017-18 was the first year of the implementation of the Goods and Services Tax in India and the taxpayers were still in the process of familiarising themselves with the new taxation system and due to lack of said familiarity-

(i) the registered persons eligible to avail input tax credit could not claim the same in terms of provisions of section 16 because of missing invoices or debit notes referred to sub-section (4) within the stipulated time;

(ii) the registered persons could not rectify the error or omission in terms of provisions of sub-section (3) of section 37 within the stipulated time,

as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (4) of section 16 and sub-section (3) of section 37;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title—This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (SecondRemoval of Difficulties) Order, 2018.-

2. In sub-section (4) of section 16 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or bothmade during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.".

3. In sub-section (3) of section 37 of the said Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided further that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

आदेश

सं. 3-2018/ राज्य कर

क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(126).- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसंबरको या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए विकसित की जाने वाली इलैक्ट्रानिक प्रणाली अग्रसरण प्रक्रम पर है, इसे प्रचालित करने में कुछ और समय लगने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तककी कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अत:, अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम–इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तीसरा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 मार्च, 2019"अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2019"अंक और शब्द रखे जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(126).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(126), दिनांक 31-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2018

ORDER
No.3/2018 – State Tax

No. F-10-66/2018/CT/V(126) .–WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, through the electronic system to be developed is at the advanced stage, it may likely to take some more time for being made operational as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word "31stMarch, 2019", the figures, letters and word "30thJune, 2019"shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

आदेश

सं. 4/2018 – राज्य कर

क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(127).– छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसआदेशमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक,

जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भीहैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्टूबर, नवंबरऔर दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हुई हैं;

अत:, अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम–इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्टूबर, नवंबरऔर दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(127).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग केआदेश क्रमांक एफ-10-66/2018/वाक/पांच(127), दिनांक 31-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2018

ORDER

No.4/2018 – State Tax

No. F-10-66/2018/CT/V(127). -WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1)shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods

or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS,certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (FourthRemoval of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 52 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: —

"Explanation: - For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.